(6)

R-5180-II/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
सर्किट कोट रीवा (म0प्र0)

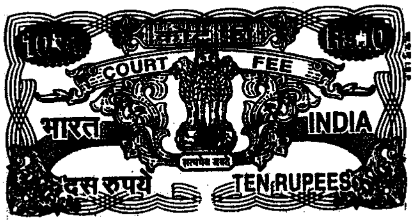

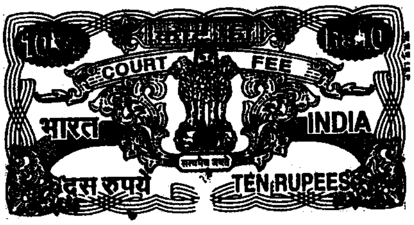

अर्जुन सिंह पिता द्रुपद सिंह चौहान साकिन खिरखोरी तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म0प्र0)

................**आवेदिक**

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

........................**अनावेदक**

श्री..अंजनी खत्री एड के द्वारा आज दिनांक. 23-11-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् तहसीलदार तहसील गोपदबनास जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 123/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2015

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रास्जव संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य है :–

यह कि आवेदक के खलिहान में रखी गइ रबी की फसल जिसमें गेंहू, जौ, चना, मसूर, अरहर, अलसी की राहा (कटाई कर एकत्रित फसल) में विद्युत तार में शार्ट सर्किट के कारण दिनांक 19.06.2014 को आग लग गई, जिससे आवेदक की एकत्रित फसल सूखी होने के कारण जलकर खाक हो गइ, जिसकी राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 के परिशिष्ट 'एक' के अनुसार आर्थिक सहायता व अनुग्रह राशि प्रदान करने का आवेदन तहसीलदार सिहावल के समक्ष पटवारी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया। जिसमें तहसीलदार ने मध्यप्रदेश शासन के राजस्व पुस्तिका परिपत्र

23/11/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5180—दो/2015 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02—5—2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार गोपदबनास जिला सीधी के आदेश दिनांक 04—9—2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ तहसीलदार के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है जिसकी सुनवाई की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में तहसीलदार के आदेश को चुनौती देने के लिए स्वंतत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी क्षेत्राधिकार विहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	